प्र.सं. 18/2018 रमसु व अन्य बनाम मन्नुलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण भील जाति से होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 जाति से लबाना है, जो गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। वादीगण के मूल पुरूष तेरसिंह वल्द नानजी होकर उनका पुत्र प्रभु हुआ, जिसके पुत्र वादीगण हैं। वादीगण के खातेदार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 24 की आराजी नंबर 106, 107, 246, 246/1, 246/2, 273, 275, 276 गांव छियासाथ, तहसील कुशलगढ़ में स्थित है, जिस पर वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति मृतक सलिया लबाना ने आराजी नंबर 10, 107 जरिये नंबर 8 दिनांक 13.07.1960 प्रतिकूल कब्जे की जांच किये बिना राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम स्वीकृत करवा लिया तथा सलिया की मृत्यु के बाद नामान्तरकण संख्या 15 दिनांक 18.07.1069 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत हो गया, जबकि कानूनन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि गैर अनुसूचित जनजति के नाम स्वीकृत नहीं किया जा सकता, उक्त सारी कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है। इसी प्रकार आराजी नंबर 273, 275, 276 वादीगण व उसके मृतक पिता प्रभूलाल की जानकारी के बिना प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता मृतक गोपाला लबाना के नाम नामान्तरकरण संख्या 86/1 व 86/2 स्वीकृत हो गया, जो गैरकानूनी होने से खारिज योग्य है। साथ ही आराजी नंबर 246 प्रतिवादी संख्या 6 ने चोरी छिपे विकय पत्र के झूठे तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 15.12.19[illegible] स्वीकृत करवा लिया, जो बिना कोरम के किया गया एवं नामान्तरकरण स्वीकृत करने [illegible] पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई जांच नहीं की। इसी प्रकार आ[illegible] नंबर 246/1 व 246/2 का नामान्तरकरण संख्या 182 व 183 दिनांक 22.07.2003 भी वादीगण की बिना जानकारी के स्वीकृत हुए हैं, जिससे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्रतिवादीगण वादीगण से जबरन लड़ाई–झगड़ा करते हैं तथा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः उक्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त समस्त नामान्तरकरण शून्य घोषित किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित आराजियात की आंशिक भूमि सिवाय चक को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी को आवंटित की गयी है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 8 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 13.04.2018 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.06.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 सं 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल मईडा उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय अपीलान्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है, जबकि उक्त तनकी को वादीगण ने बयानों से साबित कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया कि नामान्तरकरण संख्या 8 प्रदर्श 4 जो स्पष्ट रूप से धारा 19 व 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल खोला गया है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य तनकियों का निर्णय करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त [illegible] द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1993 Page 22,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
पूर्ण प्रदेश राजस्व अपील
उदयपुर (राज.)

RRD 1993 Page 66, RRD 1998 Page 393, RRD 1998 Page 607, RRT 2002 (2) Page 832, RRT 2002 (2) Page 971 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक पर विस्तृत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए धारा 19 व 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का भी स्पष्ट विवेचन किया है तथा वादीगण के जिम्मे की तनकियां वादीगण द्वारा साबित नहीं कराये जाने के कारण वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकियां प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की है, जो प्रथम दृष्टया विधिक प्रावधानों के अनुसार की जाना प्रकट होती है। अपीलान्ट/वादीगण ने हमारे समक्ष ऐसे कोई नये तथ्य नहीं बताये हैं, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 18/2005 निर्णय व डिकी दिनांक 13.04.2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....

व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

रमसु पिता प्रभु, जाति भील, निवासी छियासाथ, हाल तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

मृतक श्रीमती जमोती बेवा सलीना के बजाय मन्नुलाल दत्तक पुत्र सलिया, जाति लबाना, नि. ग्राम डुगराछोटा, तह. सज्जनगढ़ व अन्य

अपील नं.....18/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....

.....सज्जनगढ़..... मुकाम.....मुवर्खे.....13.....माह.....04.....2018.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04.....माह.....04.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... श्री राजकुमार जैन

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 13–04–2018 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04.....माह.....04.....2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested